संख्या- 5/2024/93/002-21-3002-001-2-2023

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान,
लखनऊ।

भाषा अनुभाग-3 लखनऊ,दिनांकः 05 अप्रैल, 2024

विषयः- उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में धनराशि **रू0 220.80 लाख (रूपये दो करोड़ बीस लाख अस्सी हजार मात्र)** निर्गत करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में उ0प्र0 संस्कृत संस्थान को वेतन भत्तों आदि के भुगतान हेतु अनुदान संख्या-039 के अन्तर्गत 31-वेतन मद में प्रावधानित **रू0 220.80 लाख (रूपये दो करोड़ बीस लाख अस्सी हजार मात्र)** की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

(1) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि को कोषागार से सीधे संबंधित व्यक्ति / संस्था/ पार्टी के खाते में बेनिफिशरी बनाकर ई-कुबेर प्रणाली के माध्यम से भुगतान किये जाने से पूर्व उस बिल को आहरण-वितरण अधिकारी भाषा विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(2) शासन द्वारा अनुमन्य वेतन के अंतर्गत मूलवेतन, महगांई भत्ता तथा आवास भत्ता के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का भत्ता यदि किसी भी कार्मिक को दिया जाता है तो उसकी प्रतिपूर्ति संस्थान के निदेशक, सहायक लेखाकार तथा डी0डी0ओ0 भाषा विभाग के वेतन से किया जायेगा।

(3) उक्त आहरित धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाये। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023-24 का उपभोग प्रमाण पत्र एवं आडिट की अद्यतन स्थिति से भी शासन को अवगत कराया जाये। इस स्वीकृत अनुदान पर वही नियम लागू होंगे जो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16 ए में उल्लिखित नियमावली में दिये गये है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,20,80,000 (रुपये दो करोड़ बीस लाख अस्सी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 039 **लेखा शीर्षक** 2202031040600 उ.प्र. संस्कृत संस्थान को अनुदान **मानक मद** 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 5(1)/2024/93 /002-21-3002-001-2-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) द्वितीय, आडिट भवन, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, हिन्दी संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
8. भाषा उर्दू अनुभाग-4
9. श्री रत्न दीप दीक्षित (नोडल अधिकारी)।
10. डी0डी0ओ0, भाषा विभाग।

आज्ञा से,

(विनय श्रीवास्तव)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.